आकाशवाणी केन्द्र शिमला

01.09.2026 / प्रादेशिक समाचार / 11:00बजे

मानसून सत्र

प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मानसून सत्र की आज आठवीं बैठक है। सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे।

प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज 6 नए विधेयकों को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा सदन में तीन अहम दस्तावेज भी रखे जाएंगे, जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 51 वां वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सोलन स्थित नौणी विश्वविद्यालय के 2021–22 और 2022–23 के ऑडिट व निरीक्षण प्रतिवेदन जबकि आयुष मंत्री यादवेंदर गोमा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023–24 शामिल हैं। वहीं सदन में दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा में आएंगे जिनमें विधायक सुल्तानपुरी गत दिनों परवाणू व नजदीकी गांव में हुए वर्षा से नुकसान और विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर कमरूऊ में खनन के दौरान तीन मजदूरों के दबने की घटना पर सरकार का ध्यान का खींचेंगे। इसके अलावा सदन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी दो स्टांप विधयेक संशोधन वापिस लेने का प्रस्ताव भी रखेंगे। सदन में आज नियम–130 के तहत कल से शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी जिसमें पक्ष व विपक्ष के विधायक हिस्सा लेंगे। रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला।

भाजपा विधायक दल

प्रदेश भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक कल देर सांय शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने भी बैठक में मुख्य रूप से हिस्सा लिया। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने सत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विधायक दल के साथ विस्तृत चर्चा की और सदन में पार्टी की भूमिका, संगठन व विधायक दल के बीच बेहतर समन्वय और जनहित से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने पर विचार साझा किए। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वे प्रदेश की जनता से जुड़े हर महत्वपूर्ण विषयों को पूरी मजबूती और तथ्यों के साथ सदन में रखें। बैठक में अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

एन.आई.ए.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) ने इस साल जनवरी में प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट के सिलसिले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एन.आई.ए. ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि ये गिरफ्तारियां आतंकी हमले के पीछे की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने, इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करने और घटना से जुड़े व्यापक नेटवर्क और संबंधों का पता लगाने के लिए चल रही जांच का हिस्सा हैं। आरोपियों की सटीक भूमिकाओं का पता लगाने, उनके बीच के संबंधों को स्थापित करने और हमले के पीछे के आपराधिक नेटवर्क की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए एन.आई.ए. की जांच जारी है।

घेपन झील

नेपाल में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन ने भी एहतियातन तौर पर अब 4 हजार 70 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घेपन ग्लेशियर झील की निगरानी और आपदा तैयारियों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त किरण भडाना ने बताया कि झील के जलस्तर और अन्य महत्वपूर्ण मानकों की लगातार निगरानी के लिए इस माह में सी–डैक के सहयोग से अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली का सफल परीक्षण सिसू झील पर हो चुका है और आवश्यक आंकड़े भी प्राप्त किए हैं। उपायुक्त ने बताया कि घेपन झील का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की पांच सदस्यीय टीम आज से अगले 14 दिनों तक क्षेत्र में अध्ययन करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय– एसिड हमला

सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड हमले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि, क्या एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे सख्त नियमों के दायरे में लाया जाना चाहिए। यह निर्देश 2013 में जारी दिशा निर्देशों के बावजूद एसिड की आसान उपलब्धता को लेकर बनी चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के लिए उचित पुनर्वास–उपाय तैयार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करने पर विचार करने को कहा है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि पुनर्वास उपायों में एसिड हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा, चिकित्सा सहायता और उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षा शामिल होनी चाहिए।